धारा 6–ए प्रकरण सं0 89/2019(RCMS No. : 2019/00157) वेदप्रकाश पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला पुलिस थाना लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी वेदप्रकाश के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है।

दोनों पक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पिकअप जीप आरजे 113/जीए–2002 एवं 1024 लीटर डीजल राजसात करने के लिए यह प्रकरण पेश किया और साथ ही 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर. संख्या 284/2009 जो प्रार्थी वेद प्रकाश के विरूद्ध पुलिस थाना दर्ज करवाई गई थी, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दर्ज अपराधिक प्रकरण संख्या 181/2010 अनुवानी सरकार बनाम वेद प्रकाश अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त हो चुके है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 21.01.2019 को दोषमुक्त किये जाने के कारण हस्तगत प्रकरण में धारा 6ए में जब्तशुदा डीजल 1024 लष्टर के सम्बन्ध में विचाराधीन कार्यवाही समाप्त की जावे और उक्त जब्तशुदा 1024 लीटर डीजल वापिस [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि प्रार्थी के [illegible] राजसात किया गया एवं वाहन को सुपुर्दगी पर लौटाया गया है तब से वाहन प्रार्थी के पास [illegible] तथा डीजल का राजसात कर उसकी राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने के पश्चात राज्य सरकार व जिला रसद

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील किसी न्यायायल में नहीं की गई और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में कोई निगरानी विचारणीय है। इसलिए विधिक प्रावधानानुसार प्रार्थीगण के दोषमुक्त होने की दशा में जब्तशुदा डीजल /राशि प्रार्थी को लौटाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6ए के प्रकरण के साथ साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 284/2009 पुलिस थाना, लालगढ जाटान में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपराधिक प्रकरण संख्या 18/2010 अनवानी सरकार बनाम वेद प्रकाश 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज होकर दिनांक 21.01.2019 के निर्णय के द्वारा अप्रार्थी को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया है और उक्त दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। अतः उक्त धारा 3/7 के आरोप से दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी वाहन स्वामी से जब्तशुदा डीजल वापिस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है।

उनका आगे यह भी कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उक्त जब्तशुदा वाहन के साथ 920 लीटर डीजल जब्त किया गया है जिसके स्वामित्व के सम्बन्ध में उनके द्वारा 6ए के प्रकरण में पूर्व में 920 लीटर डीजल का बिल पेश किया हुआ है। इसलिए पूर्व में बिल के अनुसार जब्तशुदा 920 लीटर डीजल वापिस लौटाना उचित होगा।

मैनें दोनों पक्षों के तर्कों पर [illegible] किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी [illegible] **आरजे 13 जीए 2002** में 1024 लीटर डीजल का विक्रय, संग्रहण [illegible] परिवहन किया जाकर राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (एलआईसी एवं कन्ट्रोल) आदेश 1990 के क्लॉज 15 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulatin of Supplies and Distribution and prevention of Malpractices) Order 2005 की धारा 3(VI) की अवहेलना के कारण जीप संख्या **आरजे 13 जीए 2002** एवं 1024 लीटर डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत राजसात करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी संख्या वेदप्रकाश द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.20219 के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा प्रकरण संख्या 181/2010 अनवानी सरकार बनाम वेद प्रकाश अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.01.2019 के आधार पर केवल धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के कारण उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मैने **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6क 3(क) व (ग)** का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है :

> **6क(3)(क) जहां अधिहरण का कोई आदेश कलेक्टर द्वारा अंतिम रूप से पारित नहीं किया जाता है,**
> **6क(3)(ग) – जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अभिहरण का आदेश किया गया है, संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएगें।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस हस्तगत प्रकरण में 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ साथ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक एफ.आई.आर.संख्या 284/2009 पुलिस थाना लालगढ जाटान में दर्ज करवाई गई थी जिसके आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचारार्थ प्रकरण संख्या 181/2010 अनवानी सरकार बनाम वेद प्रकाश अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.01.2019 के आधार पर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक आरोप से दोषमुक्ति होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कारण उक्त जब्तशुदा डीजल वापिस लौटाये जाने की प्रार्थना की गई है। चूंकि अप्रार्थीगण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त आरोप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2019 से दोषमुक्त हो चुके है और इस दोषमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा कोई अपील/रिट आदि पेश नहीं की गई है इसप्रकार उक्त आदेश अन्तिम हो जाता है। इसलिए दोषमुक्ति के परिणास्वरूप प्रार्थी उक्त जब्तशुदा डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उक्त्त प्रावधानों के तहत वापिस प्राप्त करने के हकदार है। इसलिए उक्त जब्तशुदा बस को सशर्त ही छोड़ा जाना उचित होगा।

जहां तक जब्तशुदा डीजल लौटाने का प्रश्न है उसके स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने 6ए क प्रकरण में दिनांक 08.12.2009 के बिल संख्या 55592 में 920 लीटर डीजल क्रय करना बताया है तथा साथ ही अपने जवाब के पैरा संख्या 4 में भी प्रार्थी ने 920 लीटर होना अंकित किया है। इसलिए उक्त बिल के आधार पर उसका क्रय शुदा 920 लीटर डीजल अथवा डीजल की विक्रया राशि वापिस लौटाना उचित होगा।

अतः **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं थाना अधिकारी, लालगढ जाटान को आदेश दिया जाता है कि यदि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा 920 लीटर डीजल(बिलों के अनुसार) की अगर किसी अन्य प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय/अथोरिटी(Authority) को आवश्यकता न हो तो उक्त डीजल अथवा डीजल की विक्रय राशि को नियमानुसार दापिस लौटा दी जावे। जब्तशुदा वाहन पूर्व में वाहन स्वामी के अनुसार सुपुर्दगी पर प्राप्त किया जा चुका है** अतः उक्तानुसार हस्तगत प्रकरण धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का निस्तारित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:48 IST
Reason: SelfAttested

(रूकमणी रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर